रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 454] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 1985/आश्विन 17, 1907
No. 454] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9,1985/ASVINA 17, 1907

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1985

सं. 218/85-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 786(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 14 ङ के अन्तर्गत आने वाली और जिनमें मेट्रोनाइडाज़ोल बैनज़ोएट या मेट्रोनाइडाज़ोल आक्सलेट अन्तर्विष्ट हैं, पेटेन्ट या एकायत्त औषधियों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

2- पैरा 1 की कोई बात किसी ऐसी औषध को लागू नहीं होगी, जिसमें मेट्रोनाइडाज़ोल बेंज़ोएट या मेट्रोनाइडाज़ोल आक्सलेट से भिन्न संघटक अन्तर्विष्ट हैं जब तक कि औषध में संघटक औषधीय आवश्यकता नहीं है, जैसे तनुकारक, विघटन कारक आर्द्रताकारक, स्नेहक, उभय प्रतिरोधनकारक, स्थायीकारी और परिरक्षक :

परन्तु यह तब जबकि ऐसी औषधीय आवश्यकताएं चिकित्सीय रूप से अक्रिय हैं और वे मेट्रोनाइडाज़ोल बेंज़ोएट या मेट्रोनाइडाज़ोल आक्सलेट की चिकित्सीय या रोग रोध सक्रियता के साथ अन्तरक्षेप नहीं करती हैं ।

3- यह अधिसूचना 31 मार्च, 1986 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 102/3/85-के. उ. शु.]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 1985

No. 218|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Ecise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts patent of proprietary medicines falling under Item No. 14E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing metronidazole benoate or metronidazole oxalate, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

2. Nothing contained in paragraph 1 shall apply to any medicine which contains any ingredients other than metronidazole benzoate or metronidazole oxalate, unless the ingredients in the medicine are pharmaceutical necessities such as diluents, disinte-

grating agents moistening agents, lubricants buffering agents, estabilisers and preservatives :

Provided that such pharmaceutical necessities are therapeutically inert and do not interfere with the therapeutic or prophyllactic activity of metronidazole benzoate or metronidazole oxalate.

3. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1986.

[F. No. 102|3|85-CX-3]
C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985